संख्या-10/2025/वे0आ0-2-236/दस-2025-ई0प0सं0-10-27099/13/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
चिकित्सा शिक्षा विभाग/आयुष विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 14 मई, 2025**

विषय : वेतन समिति (2016) के द्वितीय प्रतिवेदन (भाग-2) के माध्यम से लैब टेक्नीशियन संवर्ग के संबंध में प्रदान की गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के संबंध में।

महोदय,

वेतन समिति (2016) के द्वितीय प्रतिवेदन (भाग-2) के माध्यम से लैब टेक्नीशियन संवर्ग के संबंध में दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार कर दी गयी संस्तुतियों पर निम्नवत निर्णय लिये गये हैं :-

(1) लैब टेक्नीशियन संवर्ग का ढांचा तत्काल प्रभाव से निम्नवत निर्धारित किया जाय :-

पदनाम/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (पदों की संख्या)	**दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित सादृश्य वेतन लेवल**	**अर्हता एवं भर्ती की प्रक्रिया**
प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य)/ वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/(993)	वेतन लेवल-3 (रू0 21700-69100)	शत्-प्रतिशत सीधी भर्ती। अर्हता- इण्टरमीडिएट (विज्ञान) तथा 06 माह का प्रशिक्षण
वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य)/वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/(993)	वेतन लेवल-4 (रू0 25500-81100)	प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के ऐसे पदधारकों से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने इस रूप में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
लैब टेक्नीशियन/वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/-(1783)	वेतन लेवल-5 (रू0 29200-92300)	(क) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती। अर्हता- इण्टरमीडिएट (विज्ञान) तथा स्टेट मेडिकल फैकेलिटी/महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रदत्त प्रयोगशाला टेक्नीशियन का डेढ़ वर्षीय प्रमाण पत्र/ डिप्लोमा। (ख) 25 प्रतिशत पदोन्नति वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के पदों पर कार्यरत पदधारकों से, जिन्होने प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के पद की सेवा सम्मिलित करते हुए पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा सी0एच0सी0 तथा उच्च स्तर के अस्पतालों में 06 माह का कार्य अनुभव हो।
लैब टेक्नीशियन ग्रेड-1/वेतन	वेतन लेवल-6	50 प्रतिशत सीधी भर्ती।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/- (700)	(रू0 35400-112400)	अर्हता-बैचलर डिग्री इन मेडिकल लाइब्रोरेटरी साइंस। 50 प्रतिशत पद लैब टेक्नीशियन के 08 वर्ष की सेवा वाले पदधारकों से पदोन्नति द्वारा।
सीनियर लैब टेक्नीशियन/वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/- (389)	वेतन लेवल-7 (रू0 44900-142400)	लैब टेक्नीशियन ग्रेड-1 के पद पर 02 वर्ष की सेवा अथवा लैब टेक्नीशियन एवं लैब टेक्नीशियन ग्रेड-1 के पद पर कुल 12 वर्ष की सेवा वाले लैब टेक्नीशियन ग्रेड-1 के पदधारकों से शत्- प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।

(2) प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) संवर्ग में कार्यरत वर्तमान पदधारकों के लिए वर्तमान में निर्धारित व्यवस्था (वेतन मैट्रिक्स लेवल तथा पदोन्नति की व्यवस्था) को यथावत् बनाये रखा जाये।

(3) प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) संवर्ग के वर्तमान में उपलब्ध रिक्त पदों तथा उक्त संवर्ग के पदों पर वर्तमान में कार्यरत पदधारकों द्वारा किसी भी कारणवश (यथा पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति आदि) पद रिक्त किये जाने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्त पदों पर नियुक्तियां न की जाये। संवर्ग में उक्तानुसार उपलब्ध रिक्त पदों के स्थान पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लैब टेक्नीशियन संवर्ग में लैब टेक्नीशियन वेतन लेवल-5 (रू0 29200-92300) के पद सृजित किये जायें।

(4) लैब टेक्नीशियन वेतन मैट्रिक्स लेवल-5 (रू0 29200-92300) के पद पर पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग से निर्धारित 25 प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था तब तक बनी रहेगी जब तक कि पोषक पद में एक भी कर्मचारी कार्यरत होगा। उक्त के पश्चात लैब टेक्नीशियन वेतन मैट्रिक्स लेवल-5 (रू0 29200-92300) के पद शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

2- प्रशासकीय विभाग द्वारा उपर्युक्त संशोधित व्यवस्थाओं का समावेश यथाशीघ्र संगत सेवा नियमावली में कर लिया जाये।

3- कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

दीपक कुमार,

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-10/2025/वे0आ0-2-236(1)/दस-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक नियमावली सेल।

आज्ञा से,

पुष्पराज,

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in